

राजस्थान सरकार  
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 5(18) प्राशि/2017

जयपुर, दिनांक : 18/9/18

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) राज0 बीकानेर।
5. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

विषय :- राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 लेवल-2 (विषयवार) के नवचयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्रांक प. 5(18)प्राशि/2017 दिनांक 14.09.2018

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.09.2018 द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती, 2018 के नवचयनित तृतीय श्रेणी अध्यापकों के प्रथम नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उक्त के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं-

तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल -द्वितीय, विषय-अंग्रेजी की जिलेवार रिक्तियों के निर्धारण के पश्चात Counselling Camp (परामर्श शिविर) में अभ्यर्थियों के पंजीयन के पश्चात रिक्तियों के प्रदर्शन के संबंध में-


- (i) काउंसलिंग के लिए पंजीकृत (उपस्थित) अभ्यर्थियों की संख्या, समसंख्यक पत्र दिनांक 14.09.2018 के बिन्दु संख्या 2(ii)(A),(B) के अनुसार निर्धारित रिक्तियों के बराबर या कम होने पर केवल बिन्दु संख्या 2(ii)(A),(B) के अनुसार निर्धारित रिक्तियों को ही काउंसलिंग में प्रदर्शित किया जाना है।
- (ii) काउंसलिंग के लिए पंजीकृत (उपस्थित) अभ्यर्थियों की संख्या, पत्र दिनांक 14.09.2018 के बिन्दु संख्या 2(ii)(A),(B) के अनुसार निर्धारित रिक्तियों से अधिक होने पर बिन्दु संख्या 2(ii)(A),(B) के अनुसार निर्धारित रिक्तियों से अधिक काउंसलिंग के लिए पंजीकृत (उपस्थित) अभ्यर्थियों की सीमा तक बिन्दु संख्या 2(ii)(C) के अनुसार निर्धारित रिक्तियों को वरियता क्रम (कक्षा 6 से 8 के नामांकन के घटते क्रम में) में काउंसलिंग में प्रदर्शित किया जाना है।



- (iii) माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की रिक्तियों का चयन करते समय तहसील मुख्यालय को तहसील मुख्यालय से एवं तहसील मुख्यालय को उपखण्ड मुख्यालय/जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर स्थित ग्रामों के विद्यालयों की रिक्तियों का चयन नहीं किया जावेगा।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

भवदीय



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्राशि एवं परांज (प्राशि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. जिला कलेक्टर।
8. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा
10. सम्बन्धित विकास अधिकारी जिला
11. रक्षित पत्रावली।



(जगदीश नारायण जाट)

अनुभागाधिकारी